आवश्यक/तत्काल

संख्या: 30/2020/1760/12-2-2020-14/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाक: 26 अगस्त, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-39/2019/2882/12-2-2019-14-2016 दिनांक 04.10.2019 एवं शासनादेश संख्या-42/2019/2997/12-2-19-14/2016 दिनांक 19.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन की घटनाओं का अनुश्रवण किए जाने तथा प्रत्येक गॉव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी दशा में अपने संबंधित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना को रोके जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त कृषकों को पराली जलाने से मिट्टी, जलवायु एवं मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि से अवगत कराने के साथ-साथ पराली जलाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी किए जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एम0 सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओरिजिनल अप्लीकेशन नं0-666/2018 श्रीमती गंगा लालवानी बनाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम अनिवार्य है।

अतएव पराली की घटना की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कदम प्राथमिकता पर उठाया जाना आवश्यक है:-

3- इन-सीटू योजनान्तर्गत यंत्र वितरण-

भारत सरकार द्वारा संचालित फसल अवशेष प्रबंधन की योजना अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 14 प्रकार के यंत्र चिन्हित किए गए हैं। कृषकों को यह यंत्र उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत व्यवस्था है:-

3.1 व्यक्तिगत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा एफ0पी0ओ0 एवं पंजीकृत कृषक समितियों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर यंत्र विभागीय पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी एवं यंत्रों का चयन का कार्य 5 अगस्त, 2020 से प्रारम्भ कर दिया गया है। चयन की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2020 तक पूर्ण कर ली जानी है तथा 30 सितम्बर, 2020 तक यंत्रों का क्रय सुनिश्चित किया जाना है। तद्नुसार जनपद स्तर पर समीक्षा कर यंत्रों के क्रय का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए।

3.2 सहकारी समिति/गन्ना समिति/पंचायतों के माध्यम से रू0 5.00 लाख तक के फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1633/12-2-2020-14/2016, दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा व्यवस्था दी गयी है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक तत्काल आयोजित कर सहकारी समिति/गन्ना समिति/पंचायतों के चयन का कार्य शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय, जिससे 25 अगस्त, 2020 तक कृषि निदेशालय में सूचना उपलब्ध हो सके एवं चयनित संस्थाओं के द्वारा अपने अंश के रू0 1.00 लाख की व्यवस्था के उपरान्त कृषि निदेशालय स्तर से दी जाने वाली रू0 4.00 लाख की धनराशि हस्तांतरित की जा सके।

3.3 संबंधित संस्थाओं द्वारा भी यंत्रों का क्रय 30 सितम्बर, 2020 तक सुनिश्चित किया जाना है। इन संस्थाओं द्वारा क्रय किए गए यंत्रों को उचित किराये पर अपने कार्यक्षेत्र के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन कार्य हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. आई0ई0सी0 के कार्य-

4.1 कृषकों को जागरूक बनाने के लिए इन्फार्मेशन एजूकेशन कम्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) एक्टीविटी तत्काल प्रारम्भ कर दी जाय एवं कृषकों से संबंधित हर विभाग के कार्यक्रम में इनका समावेश हो।

4.2 जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाली जागरूकता गोष्ठियों को प्रारम्भ कर दिया जाय तथा फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, जलवायु व मानव स्वास्थ्य को होने वाले हानि के विषय में कृषकों को अवगत कराया जाय।

4.3 कृषकों को यह भी अवगत कराया जाये कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। पर्यावरण विभाग के आदेश संख्या-1618/1-9-2017-रा0-9, दिनांक 13.11.2017 द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश हैं। इसमें 02 एकड से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500/-, 02 से 05 एकड क्षेत्र के लिए रू0 5000/- और 05 एकड से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 15000/- तक पर्यावरण कम्पनसेशन की वसूली के निर्देश हैं।

4.4 पराली जाने की घटना पाये जाने पर संबन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग के शासनादेश संख्या-1618/1-9-2017-रा0-9, दिनांक 13.11.2017 द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध कारावास एवं अर्थदण्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। उक्त से भी कृषकों को अवगत कराया जाय।

4.5 मुख्यालय स्तर पर कृषकों की बात वैज्ञानिकों के साथ वार्ता में कृषकों को फसल अवशेष जलाने के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। निकट भविष्य में आयोजित होने वाले मिलियिन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से भी कृषकों को पराली जलाने की घटना की रोकथाम एवं इससे हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय।

5. पराली का एक्स-सीटू-प्रबंधन-

5.1 गत वित्तीय वर्ष में जिन कृषकों के खेत में फसल अवशेष जलाने की घटनायें सामने आयीं उन कृषकों के खेत से पराली संग्रह कर निराश्रित गौशालाओं में रखा जाय।

5.2 कृषकों के खेत से पराली संग्रह करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मनरेगा अथवा वित्त आयोग द्वारा की जायेगी तथा कृषकों के खेत से गौशाला स्थल तक पराली का ढुलान पशुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

5.3 गौशालाओं में चारे हेतु उपयोग में लाये जाने वाले हरे चारे में पराली चारे की उपयुक्त मात्रा को मिश्रित कर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.4 पराली का गौशाला स्थल में पशुओं के विछावन या अन्य उपयोग में भी लाया जाय।

5.5 वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में कम से कम 10 हजार मैट्रिक टन पराली निराश्रित गौशालाओं में भेजा जाय।

6- प्रवर्तन की कार्यवाही-

6.1 प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो कि कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष को न जलने देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें। इस हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाए।

6.2 राजस्व ग्राम के लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होने दें अन्यथा उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाए।

6.3 समस्त थाना प्रभारियों को यथोचित समय पर निर्देश प्रसारित किया जाय कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें तथा किसी भी दशा में फसल अवशेष को न जलने दें।

6.4 जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित करने के निर्देश शासनादेश संख्या: 39/2019/2882/12-2-2019-14/2016 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 द्वारा पूर्व में दिये जा चुके हैं। उक्त सेल फसल की कटाई से रबी की बुवाई तक आवश्यक मानीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

6.5 शासनादेश संख्या-581/35-1-2018-05 दिनांक 06.08.2018 द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के प्रवर्तन में गठित सचल दस्ते को भी फसल की कटाई के प्रारम्भ होने के पूर्व क्रियाशील कर दिया जाय। सचल दस्ते का यह दायित्व होगा कि फसल अवशेष जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंच कर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6.6 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर का उपयोग किया जाना अनिवार्य हो तथा उक्त व्यवस्था बगैर आपके जनपद में कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये।

6.7 यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जनपद में चलने वाली प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग का एक कर्मचारी नामित रहे जो कि अपने देख-रेख में कटाई कार्य करायें। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर के बगैर चलते हुयी पायी जाय तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाय और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोडा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6.8 गन्ना की कटाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि गन्ने की पत्तियों को जलाये जाने की एक भी घटना प्रकाश में न आए।

6.9 इस अवधि में कूडा जलने की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाये जायें।

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उनके जनपद में फसल अवशेष/कूडा जलने की एक भी घटना न हो, इस हेतु कार्य योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन समस्त विभागों से समन्वय कर सुनिश्चित करें। कृषि अपशिष्ट जलने की घटनायें पाये जाने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: 30/2020/1760(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, गृह, राजस्व, परिवहन, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in